परिवहन विभाग की ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनायें

प्रदेश के परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

- प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 77 परिवहन कार्यालय (19 संभागीय परिवहन कार्यालय, 56 उप संभागीय परिवहन कार्यालय, 01 लखनऊ संभागीय परिवहन का विस्तार पटल व 01 वाराणसी कार्यालय का विस्तार पटल कार्यालय) तथा 01 परिवहन आयुक्त मुख्यालय का एसटीए अनुभाग) कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं।
- ''वाहन साफ्टवेयर'' के माध्यम से वाहनों का पंजीयन कार्य, स्वस्थता प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कार्य, करों का भुगतान तथा परमिट जारी किये जाने का कार्य किया जाता है तथा 'सारथी साफ्टवेयर' के माध्यम से स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाईसेंस निर्गत करने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- वाहन सम्बन्धी विभिन्न सेवाओं में भी आवेदकों को स्लाट बुक करने की सुविधा उपलब्ध हो गयी है। आवेदक स्लाट बुक कर नियत तिथि पर कार्यालय जाकर अपना कार्य करा सकते है।
- वाहन स्वामियों को अपनी पंजीयन पुस्तिका का प्रिन्ट प्राप्त करने की आनलाइन सुविधा उपलब्ध है।

स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स योजना

- स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ''सारथी साफ्टवेयर'' पर आधारित है, जिसे एनआईसी ने तैयार किया है। आवेदकों के बायोमैट्रिक्स कैप्चरिंग, डाटा फीडिंग एवं स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिग का कार्य कराने हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित संस्था स्मार्ट चिप प्रा0लि0 द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान में प्रदेश स्तर पर प्रतिमाह औसतन 02 लाख स्मार्टकार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं।
- कार्य आरम्भ (जनवरी, 2013) से जुलाई, 2021 तक लगभग 200 लाख स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं।
- स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को उनके पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।
- नयी व्यवस्था में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों की सुविधा हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800–272–3363 भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से लाइसेंस आवेदक अपने लाइसेंस की वास्तवित स्थिति की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन व फीस पेमेन्ट की व्यवस्था

- दिनांक 01 जून, 2015 से लखनऊ जनपद के दोनों परिवहन कार्यालयों में प्रायोगिक तौर पर लर्नर लाइसेंस से सम्बन्धित आवेदन तथा उसकी फीस ''केवल और केवल'' आनलाइन माध्यम से ग्राह्य किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।
- इस व्यवस्था के लागू होने से आवेदक को अब ''केवल'' बायोमैट्रिक्स कैप्चरिंग (अर्थात् फोटो एवं सिगनेचर कैप्चरिंग) तथा लर्निंग/ड्राइविंग टेस्ट के लिए ही परिवहन कार्यालय में उपस्थित होना होता है।

- अब जन–सामान्य को आवेदन करने व फीस जमा करने हेतु कार्यालय में पंक्ति में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रह गयी है, वे अपनी सुविधानुसार आवेदन व फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- आवेदकों को अपनी सुविधानुसार स्लाट बुक कर स्लाट बुक तिथि पर कार्यालय जाकर स्क्रूटनी, बायोमैट्रिक तथा टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध है।
- लाइसेंस धारक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिन्ट प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध हो गयी है।

कम्प्यूटराइज्ड लर्नर लाइसेंस टेस्ट की व्यवस्था

- ''मैन्युअल टेस्ट व्यवस्था'' को समाप्त कर कम्प्यूटराइज्ड लर्नर लाइसेंस टेस्ट की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद में दिनांक 27 जनवरी 2016 को लागू किए जाने के पश्चात 01 अक्टूबर, 2016 से प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ की गयी है।
- इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य : लर्नर लाइसेंस टेस्ट प्रणाली में पारदर्शिता लाना तथा लाइसेंस आवेदकों में यातायात एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की 'पर्याप्त जानकारी व समझ' का परीक्षण करना है।

नए निजी वाहनों के पंजीयन हेतु ऑनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना

- निजी वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुगम एवं त्वरित बनाये जाने के दृष्टिगत आनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मई 2014 से 14 जनपदों में प्रारम्भ की गयी, तत्पश्चात् मई 2015 से प्रदेश के समस्त जनपदों में शत–प्रतिशत लागू की गई है।
- नयी व्यवस्था में वाहन क्रेताओं को वाहन पंजीयन हेतु आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।
- अब डीलर द्वारा संबंधित वेब पोर्टल पर भी पंजीयन संबंधी डाटा फीडिंग एवं टैक्स पेमेन्ट लेने के कारण वाहनों के पंजीयन में लगने वाले समय में अपेक्षाकृत कमी आयी है।
- वाहन डीलरों को कार्यालय में पंजीयन पत्रावलियों के भौतिक प्रेषण की आवश्यकता समाप्त हो गयी है।
- जी0एस0आर0 240ई दिनांक 31.03.2021 एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन योजना तथा डीलर प्वाइंट पर ही वाहन के पंजीयन चिन्ह जेनरेट किये जाने की व्यवस्था दिनांक 14.09.2021 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव जनपद में सफल टेस्टिंग के पश्चात 10 दिसम्बर, 2021 से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

व्यावसायिक वाहनों (बिल्ट बॉडी) के पंजीयन हेतु ऑनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना

- व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुगम एवं त्वरित बनाये जाने के दृष्टिगत बिल्ट बॉडी युक्त व्यावसायिक वाहनों के आनलाइन डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ कार्यालय में प्रारम्भ की गयी, तत्पश्चात् जुलाई 2020 से प्रदेश के समस्त जनपदों में शत–प्रतिशत लागू की गई है।
- नयी व्यवस्था में बिल्ट बॉडी वाली व्यावसायिक वाहनों के क्रेताओं को वाहन पंजीयन हेतु आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

- अब डीलर द्वारा ही संबंधित वेब पोर्टल पर पंजीयन संबंधी डाटा फीडिंग एवं टैक्स पेमेन्ट लेने के कारण वाहनों के पंजीयन में लगने वाले समय में अपेक्षाकृत कमी आयी है।
- वाहन डीलरों को कार्यालय में पंजीयन पत्रावलियों के भौतिक प्रेषण की आवश्यकता समाप्त हो गयी है।

ऑनलाइन टैक्स पेमेन्ट व्यवस्था

- अन्य प्रदेशों में पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के लिए लिए ऑनलाइन टैक्स पेमेन्ट की व्यवस्था क्रमशः अप्रैल, 2012 तथा नवम्बर, 2013 से लागू की गयी।
- टैक्स जमा करने के लिए आरटीओ/एआरटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

कामन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से विभागीय सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराना

- विभाग की कुल 25 आनलाइन सेवाएँ आम जनमानस को कामन सर्विस सेन्टर्स– जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध।
- इस व्यवस्था में मात्र 30/– रूपये शुल्क देकर प्रदेश के किसी भी कामन सर्विस सेन्टर के माध्मय से आनलाइन आवेदन का लाभ लिया जा सकता है।
- व्यवस्था का ज्यादा लाभ ऐसे लोगों को, जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैंकिंग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।

ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गमन व्यवस्था

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के एक प्रदूषण जांच केन्द्र पर यहव्यवस्था 20 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुई। 'विश्व पर्यावरण दिवस' (05 जून, 2019) तक प्रदेश के सभी प्रदूषण जांच केन्द्रों में यह व्यवस्था लागू।
- इस व्यवस्था में प्रदूषण जांच केन्द्र पर वाहन प्रस्तुत करने पर ही वाहन 4 पोर्टल से प्रदूषण जांच प्रमाण–पत्र जारी करने की व्यवस्था है, जिसमें वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर ऑनलाइन सिस्टम पर भरने पर वाहन का डाटा स्वतः आ जाता है।वाहन प्रदूषण जांच के समय निकलने वाले धुंए संबंधी डाटा 'वाहन 4 पोर्टल' पर अपलोड होता है, जहां से प्रदूषण मानक के अनुसार उसे 'पास' अथवा 'फेल' पोर्टल द्वारा किया जाता है।
- प्रदूषण प्रमाण–पत्र निर्गमन में पारदर्शिता।प्रदूषण प्रमाण पत्र के सही अथवा गलत होने की ऑनलाइन जांच किये जाने की भी सुविधा।

ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ की गयी तथा 15 अप्रैल, 2019 तक प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित कर दिया गया है।
- नयी व्यवस्था में वाहनस्वामियों को अपनी सुविधानुसार फिटनेस जांच की तिथि का आनलाइन चयन करने की सुविधा उपलब्ध है।तिथि चयन के बाद फिटनेस इंस्पेक्शन तथा फिटनेस ग्रांट फीस को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन फिटनेस की तिथि प्राप्त करने के बाद वाहनस्वामी को आवश्यक प्रपत्रों के साथ फिटनेस जांच हेतु पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होना होता है।
- नयी व्यवस्था के उपरान्त एक वर्ष पूर्व फिटनेस जांच तिथि निर्धारण की व्यवस्था समाप्त हो गयी है तथा फिटनेस की कार्यवाही पारदर्शी भी हो गयी है।

एम–वाहन एप्प के माध्यम से वाहनों के फिटनेस की ऑनलाइन व्यवस्था

- **m-Vahan** एप के माध्यम से वाहनों की फिटनेस करने की व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी जनपद में दिसम्बर, 2020 में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के उपरान्त् प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित कर दिया गया है।
- **m-Vahan** एप के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच के दौरान फिटनेस जांच केन्द्र/स्थान को जिओ–टैग (**geo-tag**) कर दिया जाता है। वाहनों की फोटोग्राफ एवं फिटनेस जांच की समस्त अन्य कार्यवाहियां भी रियल टाइम में की जाती हैं।
- फिटनेस जांच के समय वाहनों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है तथा इस व्यवस्था के लागू होने से वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आयेगी।

24*7 टॉल–फ्री हेल्पलाइन सेवा

- विभागीय क्रिया–कलापों से सम्बन्धित जनसामान्य की जिज्ञासाओं तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 से एक हेल्पलाइन सेवा प्रारम्भ की गयी है। जिसका नम्बर (1800–1800–151) है।
- हेल्पलाइन का एक पृथक पोर्टल (www.uptransporthelpline.org) भी है, जिसके माध्यम से जनसामान्य अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अथवा शिकायत के निवारण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
- परिवहन हेल्पलाइन में एक माह में औसतन 8000 कॉल्स प्राप्त हो रहें है तथा लगभग 400 कम्प्लेन्ट्स दर्ज हो रही हैं, जिसका समाधान समय से किया जा रहा है।

मोबाइल एप्प बेस्ड ई–चालान व्यवस्था

- मैन्युअल पेपर-बेस्ड चालान व्यवस्था को समाप्त करते हुए मोबाइल एप्प के माध्यम से वाहनों के चालान की नयी व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ व नोएडा में प्रारम्भ की गयी।वर्तमान में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू है।
- प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारामोबाइल एप्प बेस्ड ई–चालान के माध्यम से ही शत–प्रतिशत आनलाइन चालान की कार्यवाही की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर एनआईसी द्वारा बनाये गये मोबाइल एप्प बेस्ड ई–चालानव्यवस्था की शुरूआत की गयी है।
- मोबाइल एप्प बेस्ड ई–चालान का निस्तारण वाहन स्वामी आनलाइन शुल्क जमा कराके भी करा सकते हैं।

वेबबेस्ड 'वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन व्यवस्था

- भारत सरकार के निर्देश पर 'मिशन मोड प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत वाहनों के पंजीयन व्यवस्था को पूरे देश के लिए एक प्लेटफार्म पर लाए जाने के उद्देश्य से "One Nation - One RTO" की संकल्पना पर एनआईसी द्वारा 'वेबबेस्ड वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम' तैयार किया गया है।

- इसी क्रम में परिवहन कार्यालय–बाराबंकी में बी0एस0एन0एल0 के माध्यम से आप्टिकल फाइवर पर 4 एमबीपीएस मैनेज्ड इन्टरनेट लीजलाइन तथा रेडियो फ्रिक्वैन्सी (आर0एफ0) पर 4 एमबीपीएस इन्टरनेट लीजलाइन की सुविधा स्थापित कराते हुए दिनांक 12 जनवरी, 2016 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उक्त सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- दूसरे चरण में दिनांक 19 जुलाई, 2016 से लखनऊ टीपी नगर परिवहन कार्यालय में Vahan 4.0 साफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
- वाहन 4.0 साफ्टवेयर वर्तमान मेंप्रदेश के सभी 75 परिवहन कार्यालयों तथा 02 विस्तार पटल कार्यालयों में क्रियान्वयन किया जा चुका है।

वेबबेस्ड सारथी 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन व्यवस्था

- 'वेबबेस्ड वाहन 4.0' की ही भॉति वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्था के तहतपूरे देश के लिए ''एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली'' बनायी गयी है, जिसका प्रमुख लाभ निम्नवत् हैः–
  - **(i)** ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेसी तथा निलम्बित या निरस्त लाइसेंस को Track करने की सुविधा।
  - **(ii)** ऑनलाइन आवेदन, फीस–पेमेन्ट व टाइम स्लॉट बुकिंग के साथ–साथ आयु व पते के प्रमाणपत्र, फोटो तथा हस्ताक्षर को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा।
  - **(iii)** लर्नर लाइसेंस टेस्ट उत्तीर्ण करने पर आरटीओ ऑफिस से लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त हो गयी है। आवेदक वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नम्बर व जन्मतिथि डालकर लर्नर लाइसेंस स्वयं प्रिन्ट कर सकते हैं।
- सारथी 4.0 के नए वर्ज़न का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 29.11.2017 से **बाराबंकी** कार्यालय में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में प्रदेश के सभी 75 परिवहन कार्यालयों तथा 02 विस्तार पटल कार्यालयों में सारथी 4.0 का क्रियान्वयन किया जा चुका है।
- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लर्नर लाइसेंस निर्गमन योजना दिनांक 06.01.2022 से प्रदेश के पूरे जनपद में प्रारंभ कर दी गयी है। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे ही आनलाइन टेस्ट देते हुए लर्नर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।

———————————